ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
वेबसाइट: www.beeindia.gov.in, फोन: 011–26766700

तारीखः 19.06.2025

ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) को पैनलबद्ध/पुनः पैनलबद्ध करना

इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) के रूप में पैनलबद्ध/पुनः पैनलबद्ध करने के लिए पात्र संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत देश में ऊर्जा दक्षता पहलों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें ईएससीओ मॉडल के माध्यम से मौजूदा सुविधाओं में ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना शामिल है। ईएससीओ एक ऐसा संगठन है जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य तरीके से ऊर्जा खपत और लागत को कम करने वाले उपायों को लागू करने के लिए क्लाइंट फर्म के साथ निष्पादन–आधारित अनुबंध में कार्यरत है। बीईई पैनलबद्ध ऊर्जा सेवा कंपनियों की एक सूची तैयार करके रखना चाहता है जिसकी वैधता अवधि दो साल की होगी।

बीईई के साथ ईएससीओ के रूप में पैनलबद्ध/पुनः पैनलबद्ध होने के लिए, सभी ईएससीओ को क्रिसिल लिमिटेड; केयर एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड; फिच सॉल्यूशंस इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड; और एसएमईआरए रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी ग्रेडिंग एजेंसियों को पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सेबी से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के विज्ञापन और संपर्क–सूत्र तथा पैनल बनाने की प्रक्रिया www.beeindia.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

ग्रेडिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र संबंधित ग्रेडिंग एजेंसियों से प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त ग्रेडिंग एजेंसियों को पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर है। अपूर्ण और नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।